



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध बंदूक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध एक नाल की देशी बंदूक व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 19/20.07.2026 की रात्रि थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम कबौली से एक अभियुक्त को अवैध बंदूक व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाना नरैनी में मु0अ0सं0- 190/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अवैध देशी बंदूक 12 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ताजुद्दीन पुत्र यूनस निवासी ग्राम कबौली थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 190/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0- 115/22 धारा 306/363/376(D) भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खान
2. कां0 अजय यादव